प्रेषक,

श्री अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
आयुक्त एवं सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

नियुक्ति अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 26 जुलाई, 1973

विषय:- सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश का दिया जाना ।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम की अधिकता के कारण बुलाया जाता है तो उस छुट्टी के एवज में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाये । केन्द्रीय कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध है । समुचित विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :-

॥1॥ जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्च अधिकारी द्वारा रविवार या अन्य छुट्टियों में कार्यालय में काम करने को बुलाया जाए तो इसके बदले में कर्मचारी को उसकी सुविधानुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाए ।

॥2॥ यदि कर्मचारी आधे दिन अर्थात् लंच के समय तक छुट्टियों में काम करता है तो ऐसे दो आधे दिनों को जोड़कर एक दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाए ।

॥3॥ यदि कर्मचारी छुट्टियों में अपने बकाया काम के निस्तारण के लिये स्वेच्छा से कार्यालय आता है तो उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।

॥4॥ प्रतिकर अवकाश देय होने की तिथि से एक महीने के अन्दर ही दे दिया जाय । यह भी सम्भव है कि कार्य की महत्ता तथा तुरन्त निस्तारण के लिये छुट्टी में अधिक कर्मचारियों को बुलाया जाय। ऐसी दशा में यदि स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह महसूस करते हैं कि अधिक

2

कर्मचारियों को एक महीने में प्रतिकर अवकाश दिये जाने से सरकारी कार्य में बाधा पड़ेगी तो एक महीने में अवकाश स्वीकृत किये जाने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एक साथ दो दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश न दिया जाये ।

(5) प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिये वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें सम्बन्धित कर्मचारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने का अधिकार है ।

(6) उपरोक्त सुविधा केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही उपलब्ध होगी ।

भवदीय,

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या-3/2/1972(1)-नियुक्ति-(3)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
2- सचिव, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश ।
3- रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ।
4- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

आज्ञा से,

अयोध्या प्रसाद दीक्षित,
आयुक्त एवं सचिव ।

प्रमाणित

(कृष्णानन्द कोठियाल)
अनुभाग अधिकारी,
कार्मिक अनुभाग-1,
उ0प्र0 सचिवालय ।

/मौर्य/2481